भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारां कत प्रश्न संख्या **226**
(मंगलवार, **21** जुलाई, 2026/31 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लए)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) व्यय और नीति

226 श्री राजिन्दर गुप्ताः

श्री रायगा कृष्णैयाः
श्री केसरीदेव संह झालाः
श्री मयंककुमार नायकः
डा. दिनेश शर्माः
श्री राजीब भ ाचार्जीः
डा. कल्पना सैनीः
श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री आदित्य प्रसादः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) वगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) पर कए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;
(ख) वगत पांच वर्षों के दौरान कन-कन वकास क्षेत्रों में सी. एस. आर. के अंतर्गत व्यय कया गया है;
(ग) क्या सी.एस.आर. व्यय को सुव्यवस्थित करने के लए सी. एस. आर. नीति में कोई बदलाव कए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई वा र्षक फाइ लंग के आधार पर वत्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान देश में वकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय अनुलग्नक पर दिया गया है।

(ग) और (घ): सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है, तथा सीएसआर अ धदे शत कंपनियों के लए अपने सीएसआर कार्यकलापों का ववरण वा र्षक आधार पर एमसीए21 रजिस्ट्री में फाइल करना अपे क्षत है। कंपनी अ धनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचा लत प्र क्रया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर स मति की अनुशंसा के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें क्रयान्वित करने तथा उनकी निगरानी करने हेतु अ धकृत है। मंत्रालय ने हाल ही में दिनांक 27.05.2026 को राजपत्रित अ धसूचना प्रका शत की है, जिससे नई मद सं. **(xiii)** अर्थात् **"**सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज पर शून्य कूपन शून्य प्रमुख लखत का अ भदान**"** के समावेशन द्वारा अनुसूची **VII** के दायरे का वस्तार कया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य कंपनियों को अनुपालन की सुगमता प्रदान करना है तथा यह गैर-लाभकारी संगठनों को जनकल्याण संबंधी परियोजनाओं के लए पारदर्शी तथा वनिय मत रूप में धन जुटाने में सहायता करेगा।

अनुलग्नक

राज्य सभा अतारां कत प्रश्न संख्या 226 के भाग (क) और (ख) के संदर्भ में

वत्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के लए वकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

रा श (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वकास क्षेत्र	वत्तीय वर्ष 2020-21	वत्तीय वर्ष 2021-22	वत्तीय वर्ष 2022-23	वत्तीय वर्ष 2023-24	वत्तीय वर्ष 2024-25
1	कृ ष वानिकी	20.90	35.52	67.28	75.18	87.59
2	पशु कल्याण	193.55	174.35	326.40	548.60	560.78
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध वधवाएँ,आ श्रत	84.05	47.65	63.63	70.96	72.40
4	कला और संस्कृति	493.13	260.39	451.34	712.58	692.22
5	स्वच्छ गंगा नि ध	13.39	55.46	46.28	66.89	19.35
6	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	92.00	274.90	584.65	438.65	426.28
7	शक्षा	6,693.25	6,719.89	10,520.18	12,508.19	13,877.34
8	पर्यावरणीय स्थिरता	1,030.16	2,441.82	2,027.10	2,483.27	3,396.75
9	लैं गक समानता	43.83	104.97	121.17	217.85	223.98
10	स्वास्थ्य देखभाल	7,325.83	8,049.49	7,122.71	7,344.74	8,530.60
11	आजी वका संवर्धन परियोजनाएँ	938.91	880.50	1,710.13	2,408.67	2,547.71
12	अन्य केंद्रीय सरकारी नि धयाँ	1,618.17	311.14	187.79	216.44	262.66
13	गरीबी, भूख, कुपोषण का उन्मूलन	1,407.58	1,903.78	1,285.67	1,273.87	1,647.24
14	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	1,698.38	1,229.35	857.06	644.10	468.50
15	ग्रामीण वकास परियोजनाएँ	1,850.71	1,847.07	2,060.71	2,458.57	2,476.96
16	सुर क्षत पेयजल	203.13	192.34	253.05	342.51	341.85
17	स्वच्छता	338.97	314.53	438.95	379.16	439.32
18	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	56.47	80.34	154.53	164.95	205.40
19	महिलाओं के लए आश्रय और छात्रावास बनाना	44.52	101.00	49.84	43.56	50.23
20	अनाथालय की स्थापना	21.88	27.54	45.52	34.09	55.03
21	झुग्गी क्षेत्र वकास	88.95	58.38	94.22	39.52	38.42
22	सामाजिक-आ र्थक समानताएँ	149.81	165.30	159.54	205.65	160.43
23	वशेष शक्षा	209.24	191.08	325.77	412.36	423.38
24	स्वच्छ भारत कोष	161.35	35.05	56.87	143.95	192.97
25	प्रौद्यो गकी इनक्यूबेटर	62.62	8.57	1.48	1.91	-
26	खेलों को बढ़ावा देने के लए प्र शक्षण	243.39	311.71	542.69	718.82	1,130.02
27	व्यावसायिक कौशल	717.65	1,053.80	1,209.62	1,429.73	1,945.22
28	महिला सशक्तिकरण	206.00	264.94	417.45	464.89	521.38
29	एनईसी/ठल्लेख नहीं कया गया*	203.14	0.59	1.65	68.32	-
	कुल	26,210.95	27,141.45	31,183.28	35,917.98	40,794.00

(31 मार्च, 2026 तक का अपडेटेड डाटा) [स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

*कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम नहीं बताए या एक से अ धक क्षेत्र बताए जहां परियोजनाएं चलाई गई थीं।
